दूरभाष (0755) 2478250,51,52,53

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

डेयरी प्लांट हबीबगंज,
भोपाल–462024

निविदा दस्तावेज

निविदा क्रमांक–क्रय/फोटोकॉपी/2019/32 दिनांक 5.11.2019

सामग्री/कार्यः भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा फोटोकॉपी मशीन आऊटसोर्सिंग पर लिये जाने बाबत्।

नोट : इस दस्तावेज में से कोई भी पृष्ठ नहीं निकाला जावे।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

डेयरी प्लांट हबीबगंज,
भोपाल–462024

निविदा क्रमांक–क्रय/फोटोकॉपी/2019/32 दिनांक 5.11.2019

<u>फोटोकॉपी मशीन आऊटसोर्सिंग पर लगाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना</u>

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल द्वारा एक फोटोकॉपी मशीन आऊटसोर्सिंग पर लगाये जाने हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र की कीमत रू. 500/– है जो दुग्ध संघ के प्रशासन कक्ष से निविदा प्रकाशन तिथि से दिनांक 25/11/2019 सांय 5 बजे तक विक्रय की जावेंगी। निविदा दिनांक 26/11/2019 को दोपहर 3.00 तक डाली जा सकती है। निविदायें इसी दिन दोपहर 03.30 बजे खोली जावेंगी। धरोहर राशि रू. 10,000/– का डिमांड ड्राफ्ट भोपाल सह. दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम से देय हो अन्य दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। फोटोकॉपी मशीन लगाने हेतु फर्म/दुकान का पंजीयन अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें वेबसाईट **www.mpcdf.nic.in** अथवा कार्यालय में देखे जा सकते है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

अनुसूची–1

निविदा हेतु पात्र इकाईयों की चेकलिस्ट

विवरण	हॉ	हॉ	वांछित दस्तावेज
इकाई के पेन नंबर की प्रति			
इकाई का स्थानीय कार्यालय फर्म दुकान भोपाल में होने का प्रमाण पत्र			
धरोहर राशि (रूपये 10,000/– का डी.डी			
जी.एस.टी. के पंजीयन की प्रति			

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

अनुसूची–2

निविदाकर्ता के संबंध में जानकारी
फोटोकॉपी मशीन आऊट सोर्सिंग पर लगाये जाने बाबत् निविदा

1. निविदाकर्ता का नामः ....
2. निविदाकर्ता का पता (दूरभाष एवं मोबाईल नं. सहित).......................................
....
....
....
3. निविदाकर्ता इकाई का प्रकार : ....
(जैसे–व्यक्ति या पार्टनरशिप फर्म या कंपनी या शासकीय विभाग या सार्वजनिक उपक्रम)
4. निविदाकर्ता का पेन (PAN) क्रमांक : ....
(फोटोकॉपी संलग्न करें।
5. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर तथा अनुसूचियों पर हस्ताक्षर है, हॉ/नहीं।
6. निविदा के संबंध में अन्य कोई सूचना जो निविदाकर्ता इकाई के मत में महत्वपूर्ण हो
.... ।
7. निविदा कर्त्ता इकाई का जी.एस.टी. नं...

दिनांक / /

निविदाकर्ता के
हस्ताक्षर
एवं सी

1. निविदा तिथिः–

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि	25/11/2019 सांय 5 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम समय	26/11/2019 दोपहर 3 बजे तक
निविदा जमा करने एवं खोलने का स्थान	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	26/11/2019 दोपहर 3.30 बजे तक

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 500/– (पॉच सौ मात्र) एवं निविदा प्रपत्र का विक्रय व निविदा जमा करने का स्थल भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, कार्यालय के प्रशासन कक्ष।

2. <u>धरोहर राशि</u>

2.1 निविदाकर्ता इकाई को धरोहर राशि के रूप में रू. 10,000/–(रूपये दस हजार मात्र) भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल के नाम से भोपाल में देय, डिमांड ड्राफ्ट जो किसी भी अधिसूचित बैंक से बना हो, पूर्ण रूप से भरे गये निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा नहीं खोली जावेगी।

2.2 भोपाल दुग्ध संघ में पहले से जमा धरोहर राशि अथवा अन्य कोई राशि अथवा किसी देयक के विरूद्ध राशि को इस निविदा की धरोहर राशि के रूप में मान्य करने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

2.3 निविदाकर्ता इकाई को उनके द्वारा दिये गये ऑफर को वापिस लेने अथवा उसमें परिवर्तन करने या शर्तों तथा दशाओं में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। यदि न्यूनतम दर पाई जाने वाली निविदाकर्ता इकाई दुग्ध संघ के साथ अनुबंध नहीं करती है, तो उसकी धरोहर राशि रूपये 10,000/– मात्र जब्त कर ली जावेगी।

2.4 धरोहर राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3. <u>निविदाकर्ता इकाई की पात्रताएँ (**Eligibility**)</u>

3.1 निविदाकर्ता इकाई का स्थाई आयकर लेखा संख्या (PAN) होना अनिवार्य है,जो संलग्न नहीं करने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

3.2 निविदाकर्ता इकाई का भोपाल में भी स्थानीय कार्यालय/फर्म/दुकान होना अनिवार्य है, जिसके दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

3.3 निविदा कर्त्ता इकाई का जी.एस.टी. में पंजीयन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

3.4 निविदा कर्त्ता को फोटो कापी कार्य का विगत तीन वर्ष का टर्नओवर जो रू. 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) से कम न हो इस बाबत् चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सी.ए.) का प्रमाण पत्र एवं बैलेंस शीट की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3.5 पेन कार्ड की प्रति एवं विगत तीन वर्ष (वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19) के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3.6 निविदा कर्त्ता किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न हो इस बाबत् घोषणा पत्र देना अनिवार्य है।

3.7 शासकीय कार्यालय/संस्था में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव एवं संतुष्टी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

4. <u>निविदा का तैयार किया जाना तथा जमा किया जानाः–</u>

4.1 निविदाकर्ता इकाई लिफाफा क्रमांक–1 में, चेकलिस्ट अनुसार दर्शाई अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों की फोटोकॉपी जिसके ऊपर इकाई की सील तथा अधिकृत हस्ताक्षर हों रखें। अनुसूची 1, 2 तथा रूपये 10,000/– मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी लिफाफा क्रमांक 1 में रखें। इसे तकनीकी बिड के रूप में मान्य किया जावेगा।

4.2 दरों को अनुसूची–3 में भरा जावें, जिसे लिफाफा क्रमांक–2 में रखा जावे, इसे प्राइस बिड के रूप में मान्य किया जावेगा।

4.3 उक्त दोनों लिफाफों पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का पता अंकित हो तथा दोनो लिफाफे, 3 नम्बर लिफाफे में रखकर सील बंद किया जावें, तत्पश्चात् टेण्डर बाक्स में निर्धारित तिथि व समय तक डाला जावे।

4.4 निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता इकाई के मालिक अथवा इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किये जावें तथा सील लगाई जाये।

4.5 सर्व प्रथम निविदाकर्ताओं की अर्हताओं को खोला जायेगा तथा अर्हता सही पाई जाने पर प्राइसबिड केवल उन्ही निविदाकर्ताओं की खोली जायेगी, जो अर्हता में सफल होंगे।

5. <u>निविदा स्वीकार करने का अधिकार :</u>

मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा, कि वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार अथवा आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी निविदाकर्ताओं पर बंधनकारी होगा।

6. <u>फोटोकॉपी मशीन आऊट सोर्सिंग पर लगाने हेतु अनुबधं की शर्तें :</u>

6.1 फोटोकॉपी मशीन आऊट सोर्सिंग पर दुग्ध संघ में लगाने का अनुबंध दो वर्ष हेतु निष्पादित करना होगा। निविदा मूल्य प्रतिवर्ष लगभग रू. 3,50,000/– (तीन लाख पचास हजार मात्र) अनुमानित है।

6.2 इकाई द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पिछले माह का देयक संबंधित अधिकारी से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत किया जाएगा। इस देयक का नियमानुसार भुगतान टी.डी. एस काटकर किया जावेगा। यदि इकाई द्वारा संतोषजनक सेवाऐं नहीं दी जाती है तो देयक से आनुपातिक राशि काट ली जावेंगी। दुग्ध संघ द्वारा संबंधित कक्षों द्वारा जारी पर्ची/रसीद के आधार पर भुगतान प्रमाणित किया जावेगा।

6.3 निविदा में दी गयी दरें पूर्ण अनुबंधित अवधि के लिए मान्य होंगी एवं इस दौरान किसी अन्य पार्टस/टैक्स इत्यादि में बढ़ोतरी होने पर दुग्ध संघ द्वारा दरों में कोई बढ़ोतरी मान्य नहीं की जायेगी।

6.4 फर्म/दुकान का पंजीयन अनिवार्य है।

6.5 फोटोकॉपी की दरें समस्त करों सहित, जिसमें रिपेयर्स, पार्ट का रिपलेसमेंट, टोनर, पेपर्स, तथा समस्त टैक्स, ऑपरेटर का पारिश्रमिक, स्थापना व्यय आदि शामिल हों, सहित दी जावें। किसी भी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान इकाई को नही किया जावेगा।

6.6 फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर की व्यवस्था एवं वेतन भत्ता व अन्य खर्चे निविदाकर्ता इकाई द्वारा भुगतान किये जावेंगे।

6.7 मशीन में उपयोग किये जाने वाला पेपर न्यूनतम 75 जी.एस.एम. का होना चाहियें।

6.8 मशीन ऑपरेटर कार्यालयीन समय में प्रतिदिन कार्य के लिए उपलब्ध होगा। विशेष परिस्थिति में, कार्यालयीन अवकाश अथवा अतिरिक्त कार्य अवधि होने पर कोई अतिरिक्त भुगतान मान्य नहीं होगा। मशीन ऑपरेटर के अवकाश अथवा अनुपस्थिति की दशा में निविदाकर्ता इकाई को वैकल्पिक व्यवस्था करना होगी।

6.9 भोपाल दुग्ध संघ द्वारा फोटोकॉपी मशीन को स्थापित करने हेतु केवल स्थान एवं बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त, समस्त प्रकार का दायित्व निविदाकर्ता इकाई का रहेगा।

6.10 फोटोकॉपी मशीन पूर्णतः कार्यशील अवस्था में रखने का दायित्व निविदाकर्ता इकाई का होगा। अनुबंधित अवधि में मशीन का कोई भी पार्ट खराब होने पर उसको तत्काल रिर्पेयर्स अथवा रिप्लेस निविदाकर्ता इकाई को करना होगा। मशीन खराब होने की दशा में निविदाकर्ता इकाई को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करना होगी। यदि निविदाकर्ता इकाई 24 घंटे में भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है, तो इकाई के देयक से राशि रू. 250/— प्रतिदिन, जो अधिकतम रू 5000/— (एक बार में) होगी, इकाई के देयक से दण्ड स्वरूप काटी जावेगी।

6.11 सफल निविदाकर्ता इकाई को दुग्ध संघ का कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर फोटोकॉपी मशीन स्थापित करना अनिवार्य होगी अन्यथा धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी। स्थापित की जाने वाली मशीन दिनांक 01 जनवरी 2018 या उसके पश्चात् क्रय होनी चाहिए।

7. अन्य शर्तें :

7.1 निविदाकर्ता इकाई के मशीन ऑपरेटर को फोटो कॉपियर के ऑपरेशन का ज्ञान होना आवश्यक है।

7.2 मशीन ऑपरेटर का व्यवहार ठीक न होने पर निविदाकर्ता इकाई द्वारा उसे बदला जायेगा।

7.3 इकाई द्वारा अनुबंध का किसी भी प्रकार उल्लंघन करने से निगम को हुई क्षति की राशि की वसूली इकाई से की जावेगी। यह वसूली उसके द्वारा प्रस्तुत देयकों, धरोहर राशि अथवा इकाई को देय अन्य किसी राशि में से की जावेगी।

7.4 भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के अधिकारियों/कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदार/संबंधी इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।

7.5 अनुबंधित इकाई जिसे संघ द्वारा कार्य दिया गया है, किसी अन्य इकाई/व्यक्ति को कार्य नहीं दे सकती।

7.6 निविदाकर्ता इकाई द्वारा निविदा प्रपत्रों में अंकित किया गया पता ही अनुबंध एवं आरबिट्रेशन आदि समस्त उद्देश्यों हेतु मान्य होगा, जब तक कि इकाई द्वारा विधिवत कोई नया पता दुग्ध संघ को पंजीकृत पावती डाक से सूचित नहीं किया जाता है।

7.7 निविदा अहस्तांतरणीय है।

7.8 सफल निविदाकर्ता इकाई को दुग्ध संघ के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा

8. <u>आर्बीट्रेशन :</u>

अनुबंध के क्रियान्वयन में विवाद की स्थिति में अध्यक्ष/प्रा0 अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल आर्बीट्रेटर होंगे तथा उनका निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

9. <u>न्यायायिक क्षेत्र :</u>

भोपाल जिला न्यायालय, न्यायिक क्षेत्र होगा।

10. <u>वैधानिक कटौतियॉ :</u>

इकाई के देयक में से नियमानुसार टी0डी0एस0 व अन्य वैधानिक कटौतियॉ दुग्ध संघ द्वारा की जाकर शुद्ध राशि का भुगतान इकाई को NEFT/RTGS के माध्यम से किया जावेगा।

अभिवचन

1. मैं/हम यह अभिवचन करते हैं कि मैंने/हमने निविदा की शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा निविदा में उल्लेखित कार्य को समझ लिया है।

2. मैं/हम यह अभिवचन करते हैं कि हमारा कोई निकट संबंधी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में कार्यरत नहीं है।

3. हम यह भी अभिवचन करते हैं कि इस निविदा में दी गई जानकारियॉ सत्य एवं सही है तथा इसके लिए मैं/हम जिम्मेदार है।

दिनांक / /

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय
नाम एवं सील

अनुसूची–3

फोटोकॉपी मशीन आऊट सोर्सिंग पर लगाने हेतु दर पत्रक

इकाई का नाम : ....

इकाई का पेन नंबर : ....

क्र0	फोटोकॉपी मशीन का नाम व क्रय करने की तिथि	दर प्रति कॉपी
1		

(**GST** पृथक से)

उपरोक्त दरों में निम्न व्यय सम्मलित है।

1. टोनर डेवलपर
2. रिपेयर्स, सर्विसिंग, पार्ट का रिपलेसमेंट, ड्रम आदि
3. फोटोकॉपी में लगने वाले पेपर्स।
4. फोटोकॉपी कार्य करने हेतु ऑपरेटर का पारिश्रमिक (कलेक्टर दरोंनुसार)
5. समस्त कर व्यय एवं अन्य दायित्व मशीन की स्थापना सहित परन्तु जी.एस.टी. अतिरिक्त होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय
नाम एवं सील

(रू.एक हजार के स्टाम्प पेपर पर)

निविदा क्र–क्रय / फोटोकॉपी / 2019–20 / .... दिनांक...............

/ /अनुबंध/ /

यह अनुबंध आज दिनांक................ को मेसर्स.. .... (जिसे इस अनुबंध में आगे पार्टी क्रमांक 1 कहा जायेगा) एवं भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल (जिसे इस अनुबंध में आगे पार्टी क्रमांक 2 कहा जायेगा) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर निष्पादित किया हैः–

1. यह कि पार्टी क्र.–1, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल में 02 फोटोकॉपी मशीन अनुबंध के आधार पर स्थापित करेगी। फोटोकॉपी की दर रू. .... प्रति कापी में टोनर, डेवलपर, रिपेयर्स, सर्विसिंग, पार्ट का रिप्लेसमेंट, ड्रम, फोटोकॉपी में लगने वाले पेपर्स इत्यादि सम्मिलित है, किन्तु G.S.T. पृथक से देय होगा।

2. यह कि फोटोकॉपी मशीन आपरेटर की व्यवस्था एवं वेतन भत्ता व अन्य खर्चे पार्टी क्र.–1 द्वारा भुगतान किये जायेंगे।
3. यह कि फोटोकॉपी मशीन आउटसोर्सिंग पर दुग्ध संघ में लगाने का यह अनुबंध तीन वर्ष की अवधि के लिये है।

4. यह कि फोटोकॉपी मशीन पूर्णतः कार्यशील अवस्था मे रखने का दायित्व पार्टी क्र.–1 का होगा। अनुबंधित अवधि में मशीन का कोई भी पार्ट खराब होने पर उसको तत्काल रिपेयर्स अथवा रिप्लेस करना होगा। मशीन खराब होने की दशा में पार्टी क्र.–1 द्वारा तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
5. यह कि पार्टी क्र.–1 को दुग्ध संघ में कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर फोटोकॉपी मशीन स्थापित करना अनिवार्य होगा अन्यथा धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी। स्थापित की जाने वाली मशीन दिनांक 01 जनवरी 2017 या उसके पश्चात् क्रय होनी चाहिए।

6. फोटोकॉपी मशीन पूर्णतः कार्यशील अवस्था में रखने का दायित्व निविदाकर्ता इकाई का होगा। अनुबंधित अवधि में मशीन का कोई भी पार्ट खराब होने पर उसको तत्काल रिर्पेयर्स अथवा रिप्लेस निविदाकर्ता इकाई को करना होगा। मशीन खराब होने की दशा में निविदाकर्ता इकाई को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करना होगी। यदि निविदाकर्ता इकाई 24 घंटे में भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है, तो इकाई के देयक से राशि रू. 250/– प्रतिदिन, जो अधिकतम रू 5000/– (एक बार में) होगी, इकाई के देयक से दण्ड स्वरूप काटी जावेगी।

7. यह कि अनुबंध के क्रियान्वयन में विवाद की स्थिति में अध्यक्ष/प्रा0 अधिकारी भोपाल सह0 दुग्ध संघ ,आर्बीट्रेटर होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम तथा दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

8. यह कि भोपाल जिला न्यायालय न्यायिक क्षेत्र होगा।

निविदा क्रमांक क्रय/फोटोकॉपी/2019/........ दिनांक 26.11.19 में उल्लेखित समस्त शर्तें (अनुबंध की शर्तें व अन्य शर्तें) इस अनुबंध हेतु बन्धनकारी है।

गवाह–1

वास्ते पार्टी क्र.–1
(हस्ताक्षर मय नाम एवं सील)

गवाह–2

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
पार्टी क्र.–2

भोपालः
दिनांकः–